



जिस क्षेत्र के लिए आप घबरा रहे हैं, इस बार प्रशासन ने बहुत सख्त इंतजाम किया है वहां। सीआरपीएफ की पूरी एक बटालियन गश्त में लगा दी गयी है। हम एक पत्ता तक वहां खड़कने नहीं देंगे। सूची जब बन जाती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। चूंकि इस इयूटी से हर कोई कच्ची काटना चाहता है। आप बेफिकर रहिए, आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की है। इसके बावजूद दुर्भाग्य से अगर कुछ अनिष्ट हो जाये तो प्रशासन ने इस क्षेत्र में भेजे जा रहे सभी कर्मियों के लिए एक-एक करोड़ का बीमा कर दिया है।”

अपनी जान की कीमत सुनकर हताश मन दसमेस घर वापस आ गया। अब कोई उपाय नहीं था। इसमें कोई कोताही या बहानेबाजी की भी कोई जगह नहीं थी। इसे एक अति अनिवार्य इयूटी की श्रेणी में गिना जाता था। किसी भी टाल-मटोल या अवमानना की स्थिति में बर्खास्तगी की तलवार सीधे गर्दन पर। कहते हैं बाप तक के मर जाने पर भी इसमें रियायत की गुंजाइश नहीं।

दसमेस का साला शोभन तिवारी सरकारी मध्य विद्यालय में शिक्षक था और वह कई वर्षों से मतदाता सूची को अद्यतन करने तथा एलेक्शन बूथ इयूटी में लगाया जाता रहा था। विद्यालय में पढ़ाने से ज्यादा उसे इन्हीं कामों में लगा रहना पड़ता था। पिछले लोकसभा चुनाव के मतदान के एक दिन पहले उसके बूढ़े पिता यानी दसमेस के ससुर का देहावसान हो गया। वह एलेक्शन इयूटी से मुक्त होने के लिए कई कई अधिकारियों के समक्ष लाख गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद करने से सबने हाथ खड़े कर दिये। अन्ततः शवगृह में पार्थिव शरीर रखवाना पड़ा और सुदूर देहात से मतदान करवाकर जब वह लौटा तो अंत्येष्टि करवायी।

वह निकट का संबंधी था, इसलिए दसमेस ने महसूस किया था उसके दर्द को। शोभन एक मर्मभेदी कचोट से लहलुहान होकर रह गया। बेबसी का

आलम था कि उसके पिता के शव को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ गया। जीवन में तो वे कई-कई चीजों के लिए इंतजार करते ही रहे। उनके एक पुश्तैनी मकान पर एक बाहुबली ने कब्जा कर लिया तो अदालती इंसाफ के इंतजार में वे वर्षों टकटकी लगाये रहे। मोतियाबिंद के गलत ऑपरेशन के कारण एक आँख की रोशनी चली गयी तो इलाज के द्वारा रोशनी लौटने का वे महीनों इंतजार करते रहे। बैंक में वे क्लर्क थे, परीक्षा पास करने के बावजूद प्रमोशन के लिए वे लंबा इंतजार करते रहे। जिस लोकल ट्रेन से वे बैंक जाते थे, वह अक्सर लेट रहा करती थी, उसके इंतजार में उन्हें हजारों घंटे बर्बाद करने पड़े। घर के सामने बिजली के खंभे पर दो ढीले हो गये तार के आपस में टकराने से चिंगारी झड़ती रहती थी, उन्होंने दर्जनों बार कम्प्लेन की और ठीक होने का महीनों इंतजार करते रहे। इंतजार करते-करते वे गुजर गये।

शोभन ने अपना दुःख व्यक्त करते हुए कहा था, “नौकरी की किल्लत और दाल-रोटी चलाये रखने के लिए इसे ढोते रहने की मजबूरी न होती तो मैं इस बेसिरपैर की नौकरी को लात मारकर चल देता। कहां तो मैं एक शिक्षक होने चला था। बड़े बड़े आदर्श और उसूल पाल रखे थे। लेकिन बना दिया गया गली-गली, दर-दर भटकने के लिए फेरीवाला, हरकारा(हॉकर) या सेल्समैन। मतदाता सूची में किसी का नाम चढ़ाने या हटाने के लिए घर-घर जाकर पूछना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में मैं अपनी पहचान लगभग भूल चुका हूं। मतदाता सूची को अपडेट बनाये रखना और किसी न किसी (कभी विधानसभा, कभी लोकसभा) का मतदान कराना कभी खत्म न होने वाला (एवर लास्टिंग)काम है, जिसमें मुझे लगभग साल भर जुते रहना पड़ता है।

“मतदाता सूची में दर्ज नाम का कोई व्यक्ति कभी मर जाता है, कोई घर बदल लेता है, लड़कियां शादी करके विस्थापित हो जाती हैं, कोई नौकरी करने के लिए

कहीं और चला जाता है, नाबालिग बालिग हो जाता है, कई बार प्रकाशित सूची में क्लर्कियल भूलें रह जाती हैं, नाम मर्द का और फोटो औरत का लग जाता है, पति, पत्नी और पिता के नाम में भी गंडोगोल हो जाया करता है। मतलब संशोधन का काम सृष्टि रहने तक कभी मुकम्मल नहीं होनेवाला। आदमी तो आदमी, ब्रह्मा भी करें तब भी नहीं। नतीजतन मेरे जैसे जो टीचर इसमें एक बार फंस जाते हैं, वे स्कूल की इयूटी से हटाकर बस इसी काम में सिर धुनते हुए खपते चले जाने के लिए मजबूर कर दिये जाते हैं।

“विद्यालय में छूटे हुए एक दो खुशकिस्मत शिक्षक दो-तीन कक्षाओं को एक ही साथ बैठाकर बस पढ़ाई की खानापूरी करते रहते हैं। ऊपर से सरकार बढ़-चढ़ कर तुरा यह झाड़ती है कि उसने शिक्षा के अधिकार का बिल पारित कर दिया। मानो बिल पारित करने भर से ही सारा सिस्टम दुरुस्त हो गया और हर कोई पढ़कर पंडित बन गया। शिक्षक के बिना शिक्षा। विद्यालय के बिना शिक्षा। अमीरों और बड़े लोगों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। वाह रे शिक्षा का अधिकार। ऐसे में क्या यह मान नहीं लेना चाहिए कि अन्य अधिकारों की तरह यह अधिकार भी सिर्फ कागजी घोड़ा है। आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती कि शिक्षकों को चौराहे का मदारी न बनाया जाये और उससे लिए जाने वाले इतर कार्यों के लिए अलग कर्मचारी या एजेंसी नियुक्त किये जायें। प्रशिक्षित शिक्षकों को इस काम में लगाना शिक्षा के अधिकार कानून का क्या एक भद्दा मजाक नहीं है ?”

अपने रिश्तेदार शोभन तिवारी की दास्तान-ए ‘जबरिया ढोल’ से दसमेस वाकिफ था। इसलिए उसे पता था कि उसके गले में भी जो जानलेवा जबरिया ढोल लटका दिया गया है, उसे बजाने से वह किसी तरह बच नहीं सकता।

आठ दिन पहले एक बड़े हॉल में पूरे जिले के मतदानकर्मियों को बुलाकर